

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3153]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941

No. 3153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ASVINA 3, 1941

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019

का.आ. 3459(अ).—केंद्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैर्किंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 30 नवंबर, 2018 के का. आ. 5878 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश की प्रस्तावना के पैरा-4 में, '30 जून, 2019 तक' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर '31 दिसंबर, 2019 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा.सं. 9/1/2019-पटसन] संजय शरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में का. आ. सं. 5878 (अ), दिनांक 30 नवंबर, 2018 द्वारा प्राकशित तथा दिनांक 26 जून, 2019 के का. आ. सं. 2133 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 23rd September, 2019

S.O. 3459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5878(E), dated the 30th November, 2018, namely:-

In the said Order, in the Preamble, in paragraph 4, for the words, figures and letters "up to 30th June, 2019", the words, figures and letters "up to 31st December, 2019 or until further orders, whichever is earlier" shall be substituted.

[F. No. 9/1/2019-Jute]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5878(E), dated the 30th November, 2018 and subsequently amended vide Notification number S.O. 2133(E) dated 26th June, 2019.